


न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म० प्र ०

II/मि०/रीवा/2018/0657



कृष्ण कुमार वाजपेयी तनय स्व ० श्री बद्री प्रसाद निवासी ग्राम - रतहरा
तहसील - हुजूर जिला रीवा म ० प्र ० निगरानीकर्ता

बनाम

1:- शासन म ० प्र ०

2:- जगन्नाथ

3:- रामनिवास

4:- रामदयाल पिता रघुनाथ रजक | हुजूर जिला रीवा म ० प्र ०

गैरनिगरानीकतागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र ० क०
527/अपील / 017 / 018 मे पारित आदेश
दिनांक 22/ 12/ 2017

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म० प्र ० भू० रा० सं०
सन 1959ई ०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सन्दर्भित आदेश विधि एवं
प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।


90

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग/रीवा/भूरा/2018/657

कृष्ण कुमार बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-07-18 रीवा कैम्प	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह द्वारा काश्मी के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्रहय किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> 17/7/18 सदस्य</p>	

